**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 54 वर्ष 2018-19**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट** के माह 09/2015 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24/09/2018 से 29/09/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी॰ के॰ श्रीवास्तव एवं श्री दिनेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/09/2015 से 22/09/2015 तक ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2012 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: .....

(II)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | अवशेष | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय लाख | आवंटन | व्यय | आधिक्य | बचत | आधिक्य | बचत |
| 2016-17 | - | - | 1402.16 | 1402.16 | 108.92 | 108.00 | - | - | - | - |
| 2017-18 | - | - | 3575.15 | 3575.15 | 234.45 | 234.45 | - | - | - | - |
| 2018-19 | - | - | 888.67 | 868.03 | 115.00 | 41.98 | - | - | - | 93.66 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

3. इकाई का बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है ।
4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। On the basis of maximum expenditure का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन On the basis of maximum expenditure के आधार पर किया गया।
6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक..... तक लेखा परीक्षा की गई ।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह .... तथा ..... तक की गई।

5. **फॉर्म-51**: माह 08/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

**भाग प्रथम**- रुपए 22504262 /-
**भाग द्वितीय**- रुपए 209022 /-

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 08/2018 के अंत में

1.नकद परिशोधन- शून्य
2.सामग्री क्र्य- शून्य
3.निक्षेप पंजिका- ₹ 8426614.00 /-
4.प्रकीर्ण अग्रिम- ` 22409801.00 /-
5.भंडार- ` 6849818.00 /-

**भाग –दो 'अ'**

**प्रस्तर- 1 रु0 32.00 लाख (लगभग)के पूर्ण लोहे वैली ब्रिज पार्ट्स का निष्प्रयोज्य पड़े रहना।**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट के स्टॉक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच मे पाया गया कि कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उतराखंड, देहारादून के पत्रांक 149/13 अधिप्राप्ति/13, दिनांक 31 जनवरी 2014 के क्रम में निर्माण खंड, कपकोट को दैवीय आपदा के अंतर्गत क्रय किये गये वैली ब्रिज -80 फीट को ऋषिकेश खण्ड से कार्य-स्थल तक ले जाने हेतु आवश्यकतानुसार आवंटित किया गया था। उक्त वैली ब्रिज (80 फीट) से संबन्धित 21 items मार्च 2014 में इस खण्ड द्वारा प्राप्त किया गया। उक्त ब्रिज लेखा परीक्षा तिथि तक install नहीं किया गया तथा खण्ड के पास खुले में रखे हुए है।

वैली ब्रिज -80 फीट से संबन्धित 21 items के सापेक्ष प्राप्त 641 की संख्या के Parts लेखा परीक्षा तिथि तक Install नहीं किया गया। उक्त वैलीब्रिज के पार्टस् से सम्बन्धित Bill/Invoice इकाई में उपलब्ध नहीं थें तथा न ही इसकी कीमत मालूम था । उक्त लोहे का ब्रिज 4 वर्ष 7 माह से ज्यादा खुले में रखा हुआ है इस प्रकार ब्रिज की आवश्यकता थी तो उसे Install नहीं करना तथा स्थानीय जनता को होने वाले लाभ से वंचित रखा जा रहा है।

उक्त प्रश्नगत वैली ब्रिज से सम्बन्धित पार्टस् को मासिक लेखे (Form 72&73) में दर्शाये नहीं गये है । इस प्रकार लेखे के सही व वास्तविक प्रस्तुति नहीं की गई ।

उक्त को इंगित करने पर विभागीय उत्तर में बताया गया की चुकी उक्त वैली ब्रिज अस्थाई खंड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा क्रय किया था, जिसके बिल / Invoice की प्रति उक्त खंड से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जाएगी, एवं इसकी लागत से अवगत करा दिया जाएगा। उक्त ब्रिज दैवीय आपदा में विषम परिस्थितियों में लगाये जाने हेतु प्राप्त हुआ था, जब ऐसी विषम परिस्थितियां होगी तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा। वैली ब्रिज के छोटे पार्ट्स जिनके खराब होने की संभावना है उनको स्टोर कक्ष में सुरक्षित रखा गये है, जिन पर पूर्व में प्राइमर एवं पेन्टिंग कारवाई गई थी, आवश्यकता पड़ने पर इन पोर्टल पर पुनः पेंटिंग, करवा दिया जाएगा, इस सेतु के खंड में पड़े हुए पार्ट्स की लागत लगभग 32.00 लाख है। चूँकी उक्त वैली ब्रिज प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) महोदय के आदेशों के क्रम में अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा इस खंड को withoutcostU.S.R. के माध्यम से हस्तगत किया गया था, जिस कारण इस सेतु की लागत को (फार्म 72 & 73) में नहीं दर्शाया गया है, संबन्धित खंड से लागत का विवरण प्राप्त करने के उपरांत इसको withcost स्टॉक में ले लिया

जाएगा।चूंकि कपकोट क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां मानसून सत्र में भारी वर्षा एवं बादल फटने के कारण पुलों के बहने / मार्गो के वाशआउट होने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण विषम परिस्थितियों में इस सेतु का प्रयोग कर यातायात सुचारु रखने हेतु इस सेतु को स्टॉक में रखा गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वैली ब्रिज तत्समय दैवी आपदा के दौरान आवश्यकतानुसार कार्यस्थल हेतु खंड को आवंटित किए गए थे जिसे उसी समय (जनवरी 2014) स्थापित किया जाना था खण्ड द्वारा उक्त ब्रिज मार्च 2014 में खण्ड में लाया गया था परंतु 4 वर्ष 7 माह पश्चात भी स्थापित नहीं किया गया जो वित्तीय नियमों के विपरीत है साथ ही उक्त सेतु से होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।उक्त प्रश्नगत वैली ब्रिज से सम्बन्धित पार्टस् को मासिक लेखे (Form 72&73) में नहीं दर्शाया जाना लेखे नियमों के विपरीत है जिससे स्टॉक लेखे की सही व वास्तविक प्रस्तुति नहीं की गई । खण्ड द्वारा उक्त ब्रिज की वास्तविक मूल्य भी नहीं बताया गया।

इस प्रकार रु0 32.00 लाख (लगभग) के पूर्ण लोहे वैली ब्रिज पार्ट्स का निष्प्रयोज्य पड़े रहने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

## भाग–2 ब

### प्रस्तर –1 ₹ 2.55 लाख लेबर सेस की कटौती ना किया जाना एवं एकल निविदा के सापेक्ष ठेका दिया जाने के कारण अधिक व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना

शासन द्वारा बागेश्वर–दोफाड–धरमघर –कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 31 से 74 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण निर्माण कार्य हेतु `1973.70 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (2/2014)/मुख्य अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी (2/2014) निर्माण कार्य हेतु एक अनुबन्ध संख्या 03/एस0ई0–बागे/2014 दिनांक 01.03.2014 द्वारा मै0 हिलवेज कस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 ऋषिकेश के साथ धनराशि ` 19.53 लाख का गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त की तिथि क्रमशः 01.03.2014 तथा 31.08.2015 थी वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्तिम देयक के अनुसार कार्य पर कुल ` 18.46 करोड व्यय किया जा चुका था।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण के अभिलेखों की जॉच मे पाया गया कि खण्ड द्वारा कार्य की निविदा एक ही बार आमंत्रित की गई थी जिसमे एकल निविदा प्राप्त हुई थी जिसमे ठेकेदार द्वारा आगणन की राशि से अधिक दरें दी गयी थी। एकल निविदा के सापेक्ष ठेकेदार को आगणन की लागत का 20 प्रतिशत अधिक पर ठेका दिया गया था। यदि पुनः निविदा आमंत्रित कर ली जाती तो ` 2.68 करोड़ जो अधिक व्यय किया गया है। आगे जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा ₹18.46 करोड (कुल व्यय ₹ 18.46 करोड का एक प्रतिशत) Labor Cass की कटौती की जानी थी परन्तु खण्ड द्वारा केवल ₹ 15.91 लाख अर्थात ₹2.55 लाख कम कटौती की गई थी।

आगे जॉच मे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 31.08.2015 के स्थान पर 2 वर्ष 5 माह पश्चात् अर्थात 31.12.2017 को पूर्ण किया गया था। ठेकेदार पर अनुबन्ध के साथ संलग्न जी0पी0डब्लू0–9 की शर्तो के अनुसार निर्धारित Mile Stone प्राप्त न करने के कारण उसके बिलों से धनराशि को नियमानुसार रोक कर (With hold) रखा जाना था, लेकिन कोई भी धनराशि उसके बिलों से रोकी नहीं गई थी न ही ठेकेदार पर कोई अर्थदण्ड लगाया गया था। ठेकेदार द्वारा समयवृद्वि हेतु जो कारण दिये गये थे वे अत्यधिक वर्षा होना, अधिक बर्फबारी होना, मौसम कार्य के अनुकूल न होना आदि सामान्य घटनाए सम्बन्धी कारण दिये गये थे जिन्हें Force Majeure की श्रेणी में नही रखा जा सकता । अतः ठेकेदार पर अर्थदण्ड न लगा कर उसे अनुचित लाभ दिया गया था।

आगे जॉच मे पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग पूर्व मे पी0सी0 से लेपित था जिस पर खण्ड द्वारा मार्ग पर बिना MSA एवं traffic Calculation किये ही बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का प्राविधान करके क्रियान्वयन किया गया था। खण्ड द्वारा बिना MSA Calculation के किस आधार पर मार्ग पर 25एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 एवं 50एम0एम0 बी0एम0 का प्रयोग किया। यह अभिलेखों से स्पष्ट नहीं था। आगे जॉच मे पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग पर कार्य के सापेक्ष खंड द्वारा बीमा नहीं करवाया गया था. साथ ही कार्य समाप्त हो जाने के बाद तक भी कार्य का भिन्नता विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था ।

प्रकरण इगिंत किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया की खण्ड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि Labor Cass की कटौती कर ली जायेगी, खण्ड द्वारा आगे बताया गया कि कार्यस्थल विसम भौगोलिक परिस्थितयो के बीच जहाँ वर्षा व बर्फ़बारी अत्यधिक मात्रा में होती है एवं पांलाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण को देखते हुए पेनाल्टी नहीं लगाई गयी । एकल निविदा के सापेक्ष कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में खंड द्वारा आगे बताया की दिनांक 20/01/2014 को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता लो नि वि की बठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लगने वाली आचार संहिता के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा high impact value वाले कार्यो को तत्काल अति अल्प कालीन नोटिस लगाकर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए थे जिसके परिप्रेक्ष्य में 10/02/2014 को खोली गयी तकनीकी बिड में एकमात्र निविदा 20 प्रतिशत अधिक पर प्राप्त हुयी थी ..... बिटुमिन की दरो में हो रही वृधि , पुनः निविदा आमंत्रित करने पर दरे और अधिक बढ़ जाने की सम्भावना, पंचायत चुनाव एवं लोक सभा चुनाव के मद्देनजर लगने वाली आचार संहिता एवं कार्य क्षेत्र की दुर्गम भौगोलोक परिस्थितयो को ध्यान में रखते हुए उक्त फर्म की निविदा स्वीकृत की गयी एवं पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी

खंड द्वारा स्वीकार किया गया की अवशेष labour सेस की कटौती कर ली जाएगी, एकल निविदा के सापेक्ष अधिक दरो पर ठेका देकर व्याधिक्य किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि निविदा पुनः चुनाव के पश्चात भी आमंत्रित की जा सकती थी साथ ही खंड के कार्य को जल्दबाजी के तर्क को तर्कसंगत इस लिए भी नहीं ठहराया जा सकता क्योकि कार्य, कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से दो वर्ष पांच माह बाद पूर्ण हुआ था । बिना पेनाल्टी लगाए समय वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि समय वृधि हेतु जो परिस्थित्या खंड द्वारा बताई गयी है वे सामान्य है इन्हें Force Majeure की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है खंड द्वारा मार्ग पर बिना MSA एवं traffic Calculation किये ही बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का प्राविधान करके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बताया

गया की मार्ग की सतह अत्यधिक खराब होने के कारण एवं मार्ग पर वाहनों की आवाजाही में वृद्धि होने के कारण मार्ग पर BM एवं SDBC द्वारा सुधारीकरण करवाया गया एवं टॉप कोट द्वारा सतह समतलीकरण करवाए जाने के उपरान्त कार्य करवाया गया,खंड का यह उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योकि मार्ग के strengthening का कोई आधार होना चाहिए बिना MSA एवं traffic Calculation किये मार्ग के strengthening करने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं होता है i

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

## ''<u>भाग दो</u> **-ब**

**<u>प्रस्तरः</u>– 2 रु 185.65 लाख निधि का परिवर्तन (Diversion) किया जाना एवं खंड की उदाशीनता के कारण अंतिम तिथि के पश्चात भी कार्य अपूर्ण रहना ।**

शासनादेश संख्या 373/III(3)/16-06 (एस.पी.ए)/2014 टी०सी०-III दिनांक: 30 जून 2016 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार " संबन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्ही योजनाओ/कार्यो पर किया जायेगा, जिनके लिए यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है।"

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के पत्रांक: 4780/34 बजट (एस0पी0ए0-पुनर्निर्माण/2017-18 दिनांक: 16.03.2018 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार " संबन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा कार्यवार आवंटन के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि का उपयोग संबन्धित निर्माण कार्यो पर कार्यवार आवंटन की सीमा के अंतर्गत नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा मे एक कार्य की धनराशि दूसरे कार्यो पर व्यय नही की जायेगी, और न ही व्यायाधिक्य किया जायेगा।"

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट मे तहसील कार्यालय से ब्लाक मुख्यालय को जोड़ने वाला सरयू नदी पर 100 मीटर स्पान झूलापुल के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 373/III(3)/16-06 (एस.पी.ए)/2014 टी०सी०-III दिनांक: 30 जून 2016 को रु 322.38 लाख की प्रदान की गयी थी। जिस पर दिनांक 05 जुलाई 2016 को अधीक्षण अभियंता सिविल वृत लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा रु 322.38 की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य के निष्पादन हेतु M/s M S Associates के साथ अनुबन्ध संख्या 23/एस०ई०/2016 दिनांक 09.12.2016 को लागत रू 28367744.00 का गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.12.2016 व समाप्ति की तिथि 08.12.2017 थी। जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक रु 136.72 लाख का भुगतान किया जा चुका था जबकि माह 03/2018 एवं माह 08/2018 के प्रपत्र 64 के अनुसार रु 322.37 लाख का व्यय किया जा चुका था। जिसमे से रु 185.65 लाख की धनराशि खंड द्वारा नियमो/निर्देशों के विपरीत नाबार्ड से संबन्धित कार्यो पर किया गया। कार्य पर रु 136.72 लाख व्यय के पश्चात भी कार्य समाप्ती तिथि दिनांक: 08.12.2017 के 9 माह बाद (लेखापरीक्षा तिथि तक) भी अपूर्ण था। जबकि कार्य के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण राशि खंड को प्राप्त हो चुकी थी। उक्त कार्य से संबन्धित अभिल्र्खो की जांच मे यह भी पाया गया कि अनुबन्ध मे निर्धारित क्लाज के अनुसार झूला पुल के निर्माण से संबन्धित कार्य का बीमा कराया जाना चाहिये था जो नही कराया गया।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि कार्य पर अतिथि तक रु 136.72 लाख का ही व्यय किया गया है, शेष धनराशि का व्यय नाबार्ड से संबन्धित कार्यो पर किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 मे समायोजित कर लिया जायेगा। कार्य समय पर पूर्ण न होने के संबंध मे अवगत कराया गया कि कपकोट मे अत्यधिक वर्षा होने के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही हो पाया है। इस प्रकार खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति कार्य से संबन्धित रु लाख 185.65 का व्यय अन्य कार्यो पर किए जाने की की पुष्टि होती है। साथ कार्य समय से पूरा न करने के सम्बंध मे भी खंड का उत्तर मान्य नही है क्योकि ऐसा कोई भी अभिलेख खंड द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया तथा ठेकेदार द्वारा दिनांक: 09.12.2016 को द्वितय बिल ही प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा कोई भी बिल प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रतीत होता है कि लगभग 2 वर्ष से कार्य मे कोई भी प्रगति नही हुई है तथा न ही समय पर कार्य न करने पर खंड द्वारा ठेकेदार के विरुद कोई कार्यवाही ही गयी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | स्टैन |
|---|---|---|---|
| 64/2015-16 | 1 | 3,5 | 1,2 |
| 32/2010-11 | - | 1,2 | |
| 20/2012-13 | 1,2 | 2,3 | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | | इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि विगत लेखा परीक्षा से संबन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुत कराकर कार्यालय प्रधान माहलेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।उपरोक्त उपवर्णित अनिस्तारित प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है। | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

(i) माप पुस्तिका संख्या: 84,64,57,80,96,79,58,78,69,73,83,एवं 93 ।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| **क्रम सं0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| **1** | श्री हरीश पांगती | अधिशासी अभियंता | 05.12.2014 से 02.02.2016 |
| 2 | श्री के॰ के॰ तिलारा | अधिशासी अभियंता | 02.02.2016 से 28.07.2017 |
| 3 | श्री एस॰ के॰ पांडेय | अधिशासी अभियंता | 28.07.2017 से वर्तमान तक। |

**4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।**

**1. श्री सुनील कुमार**

**2. श्री रमन यादव**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**आर्थिक खण्ड-II**